

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 से 4 क्रमशः पतासी व सीता ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गये है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा तंवरा के खेत खसरा नम्बर 1289/156 रकबा 0.0405 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 1290/156 रकबा 4.4920 हैक्टेयर में वादी गोपालराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 1 रूपाराम का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रकाश का 1/3 हिस्सा सह हक बंट एवं सह कब्जा काश्त में रखा जाकर, सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 से 4 क्रमशः पतासी व सीता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

(अमर प्रकाश वर्मा)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



निर्णय आज दिनांक 26.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में नाया गया।

(अमर प्रकाश वर्मा)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल